**Indian Journal of Modern Research and Reviews**

**This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'***

**Online ISSN:**2584-184X

*Research Article*

# भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति: एक अध्ययन

**मो० असगर अन्सारी**

शोधार्थी, इतिहास विभाग, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड, भारत

**Corresponding Author:** * मो० असगर अन्सारी

**DOI:** https://doi.org/10.5281/zenodo.21884322

**सारांश**

इस अध्ययन में भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं की ऐतिहासिक परिपेरक्ष्य में उनकी स्थिति को जानने का प्रयास किया गया है। विश्व के लगभग सभी देशों में मानव समाज पुरूष प्रधान रहा है। इससे मुस्लिम समाज भी अछूता नहीं है। पैगम्बर मुहम्मद साहब की शिक्षा तथा कुरान के माध्यम से मुस्लिम औरतें अपने अधिकारों तथा स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करती है, जिसे आमतौर पर इस्लामिक सिद्धांत कहते हैं । इस सिद्धांत ने पुरूषों तथा महिलाओं के लिए सामाजिक स्थिति में समानता को स्वीकार किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में समान भागीदारी की अनुमति नहीं देता, फिर भी मुस्लिम महिलाओं में पहले की अपेक्षा अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही हैं । मुस्लिम औरतें भी पढ़-लिख कर अपने अधिकार तथा कर्तव्य को जानने का प्रयास कर रही है, जिसे समाज में एक नयी स्थिति उभर कर सामने आ रही है।

**Manuscript Information**

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 07-06-2026
- **Accepted:** 28-07-2026
- **Published:** 30-07-2026
- **IJCRM:**4(7); 2026: 261-263
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

**How to Cite this Article**

अन्सारी अ. भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति: एक अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(7):261-263.

**Access this Article Online**

www.mrrjournal.in

**कुंजी शब्द:** मुस्लिम महिला, सामाजिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, शिक्षा, सामाजिक परिवत्रन.

## प्रस्तावना

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि इस्लाम को मुल्यांकन किया जाए तो इस्लामी समाज में पुरूष तथा महिला दोनों का ही स्थान महत्वपूर्ण रहा हैं। इस्लाम में कुरान तथा हदीस ने पुरूष तथा महिला दोनों को सामाजिक तथा धार्मिक हितों को ध्यान में रखकर उनके कार्य क्षेत्र को निर्धारित कर दिया है। इस्लाम पुरूष और महिला दोनों के व्यक्तित्व में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता । पवित्र कुरान में पुरूष तथा महिला की इस समानता को वर्णित करते हुए महिला को पुरूष का परिधान तथा पुरूष को महिला का परिधान बताते हैं, ''वे तुम्हारे लिए लिबास (परिधान) हैं और तुम उनके लिए लिबास हो।'' 1 (कुरान-2: 187).



© 2026 मो० असगर अन्सारी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रो. उमर हयात खाँ के अनुसार इस्लामिक विवाह के द्वारा महिला के व्यक्तित्व को पुरूष में समायोजित नहीं करता , बल्कि विवाह के बाद भी औरतों के व्यक्तित्व को मान्यता देता हैं। इस्लाम पति-पत्नी दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी करार देता हैं। दोनों में न ही किसी को श्रेष्ठ समझा जाता न ही कम आंका जाता है। इस कारण इस्लामिक विवाह की प्रवृति संविदा की है। इस्लाम तथा कुरान के अनुसार महिला भी उसी तरह से आदर के योग्य हैं, जिस तरह पुरूष। इस्लाम महिलाओं पर भी उसी प्रकार से ईश्वरीय आदेशों को लागु करते हैं, जिस प्रकार पुरूषों पर। इस्लाम के अनुसार औरत भी अपने कर्मों के लिए अल्लाह के सामने उसी प्रकार जिम्मेदार है, जिस प्रकार पुरूष को जिम्मेदार बनाया गया है। पुरूष की तरह औरत भी अपनी सम्पत्ति और दौलत की पूर्णतः मालिक होती है, जिस पर उनके मर्जी के बगैर उसका पति भी अधिकार नहीं रख सकता। इस्लाम महिलाओं की जान को भी उतना ही मूल्यवान समझता है जितना की एक पुरूष का। कानूनी दृष्टि से भी इंसानी अधिकारों को पुरूष के बराबर समझा जाता है। 2

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं से ग्रसित हैं। इनमें से मुस्लिम समज में महिलाओं की सामाजिक समस्याएँ एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। संविधान के द्वारा महिला तथा पुरूष दोनों को समान सामाजिक अधिकार दिए गए हैं, मगर सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार की सभी अधिकार अर्थहीन हैं। महिलाओं की इच्छा को पुरूष प्रधान समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता है। भारत विविधताओं का देश हैं, जिसमें अलग-अलग सम्प्रदाय जाति, विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं को मानने वाले निवास करते है। किसी भी समाज का निर्माण महिला और पुरूष दोनो की समान भागीदारी से ही संभव है। सृष्टि एवं जीवन के विकास में दोनो की समान रूप से महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भूमिका रही है, परन्तु समय के साथ-साथ परिस्थिति में परिवर्तन होता गया तथा मुस्लिम समाज में भी पितृसतात्मक व्यवस्था मजबुत होती चली गयी। पितृसतात्मक समाज में पुरूषों का वर्चस्व स्थापित हो गया जिससे समाज में महिला तथा पुरूष में असमानता का वातावरण पनपने लगा। फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति धीरे-धीरे खराब होती चली गयी।

## मुस्लिम महिलाओं के धार्मिक अधिकार

यह वास्तविक सत्य है कि स्त्री और पुरूष के बीच समानता की बात कोई भी धर्म नहीं करता लेकिन इस्लाम इससे बिल्कुल अलग है। अन्य धर्मों की महिलाएँ जहाँ लम्बे संघर्ष के बाद जो अधिकार 10-12वीं शताब्दी में प्राप्त कर सकी, वहीं मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम ने बिना संघर्ष के छठी शताब्दी में ही प्राप्त हो गई थी। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद साहब ने माँ के बारे में बताया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। 3 इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में महिलाओं का सम्मान होता है। इस्लाम महिलाओं को अपनी जीवन के हर क्षेत्र में महत्व प्रदान किया गया, जिससे उसे असम्मान महसुस न हो। महिलाओं केा एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, पत्नी या बहन के रूप में अलग-अलग परिस्थितियों में उन्हें सम्मान की नजर से देखा गया है। कुरान और हदीस का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस्लाम मे महिलाओं के अधिकारों को कटौती करने के लिए इस्लाम जिम्मेवार नहीं है, वरन इसके व्याख्या करने वाले वे मुसलमान जिम्मेवार है जो धर्म की व्याख्या करने का अधिकार रखते हैं ।

अगर समानता के बारे में कहा जाए तो इस्लाम पहला धर्म है जो स्त्री-पुरूष समानता की बात करता है। यह समानता सामाजिक तथा आर्थिक दोनों ही संदर्भ में है। ‘‘तुम में से कोई भी मर्द हो या औरत आपस में एक दूसरे की लिबास हो (कुरान, सुरे बकरा, 2: 187) 4

सामाजिक समानता के साथ-साथ इस्लाम आर्थिक समानता की भी बात करता है। सम्पत्ति में स्त्री और पुरूष दोनो को समान अधिकार देता है। विरासत के मामले में भी इस्लाम चल और अचल सम्पत्ति में कोई फार्क नहीं करता बल्कि सारी जायदाद को उनके वारिस में समान रूप से बाँटी जानी चाहिए।

## सम्पत्ति का अधिकार

कुरान में जगह-जगह पर महिलाओं के लिए समान अधिकार की बाात करता है। महिलाओं के हक पुरूषों के बराबर है। किसी भी परिस्थिति मे उनसे कम नहीं है (कुरान-2: 228) 5 महिलाओं की सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार से पुरूष का अधिकार नहीं हैं। कुरान की विचारधारा का मुख्य उद्देष्य मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था ताकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। समाज में जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम हैं तथा निजी सम्पत्ति रखने वाली है उसे अन्य की अपेक्षा अधिक सम्मान मिलती है। इसलिए इस्लाम में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में इस्लामी कानुन बहुत ही प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी है। मुस्लिम समाज में अक्सर महिलाओं को डराया जाता है तथा भावनात्मक ब्लैकमैल करके सम्पत्ति को भाईयों को देने के लिए मजबूर किया जाता है। कहीं-कहीं महिलाओं को अपने भाईयों से विरासत में मिली सम्पत्ति के बारे में पूछना तक भी शर्मनाक माना जाता है।

## महर का अधिकार

इस्लाम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महर को मूलरूप से एक उपहार के तौर पर समझा जा सकता है। जो एक पति अपने पत्नी को निकाह के समय ईमानदारी और उसके लिए प्यार के प्रतीक के रूप में देता है। महर पति की कमाई के अनुसार होती है जिस पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। पत्नी की इच्छा के अनुसार महर धन या कोई अन्य मूल्यवान वस्तु भी हो सकता है। इसके अलावा मुस्लिम पत्नी को महर हर सम्पत्ति के पूर्ण स्वामित का अधिकार एवं निष्पक्ष वैवाहिक स्थिति की गारंटी देने के लिए एक सक्रिय उपाय दर्षाता है। मुस्लिम महिलाओ को सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास के लिए जन-जागरण, शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं देश की मुख्य धारा में जोड़ने हेतू सभी लगातार प्रयास करने होंगे जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ सकें।

## विवाह में महिलाओं के इच्छा का अधिकार

सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही समाज में विवाह के मामले में भी इस्लाम महिलाओं को पति चुनने का अधिकार देता है। इस्लाम स्त्री की इच्छा विरूद्ध विवाह को अवैध मानता है (कुरान-4: 19)। पैगंबर मोहम्मद स.अ.व. ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ‘‘ किसी भी कुंवारी (अविवाहित) लड़की का विवाह तब तक न किया जाए जब तक कि उसकी अनूमती न ले ली जाए’’ (सहीह अल-बुखारी, हदीस-6968)। मगर वर्तमान समय में इसके विपरित कई लड़कियों का शादी उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे दोगुने उम्र के पुरूष के साथ कर दिए जाते हैं।


© 2026 मो० असगर अन्सारी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

पैसे की लालच तथा गरीबी के कारण बहुत सारे लड़कियों को बेच दिया जाता है इसका बहुत बड़ा कारण दहेज को माना जाता है। गरीबी के कारण अपने पिता के उम्र समान पुरूष के साथ दूसरी, तीसरी या चैथी पत्नी बनने के लिए विवश किया जाता है, जबकि इस्लाम व कुरान के अनुसार निकाह के समय भी लड़कियों की रजामंदी जरूरी हैं। उसके बाद ही अपना शौहर तय करती है।

### पर्दा प्रथा

इस्लाम में पर्दा महिलाओं को पहचानने का एक तरीका भी माना जाता है। पर्दा या बुर्का जो सिर से पैर तक शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखती है। बुर्का वर्षों से चली आ रही मुस्लिम समाज में संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहा है। कुरान में स्पष्ट लिखी गयी है कि ‘‘ऐ मोमिन अपनी स्त्रीयों के शरीर को अच्छी तरह ढक कर रखें और उन्हें एक विशिष्ट चिन्ह प्रदान करें, ताकि वे पहचानी जा सकें और उन्हें परेषान न किया जा सकें। ऐ पैगम्बर ; अपनी पत्नियों, बेटियों और उन मोमिन औरतों से कह दीजिए कि (जब वे बाहर जाएँ ) अपने परिधान से अपने शरीर को पूरी तरह ढक लें। यह बेहतर होगा कि वे पहचानी जा सकें और परेशान न किया जा सके।'' (कुरान-33: 59)

भारत में स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम समाज मे महिलाओं के अंदर पर्दा का प्रचलन दिन प्रति-दिन गाँव की अपेक्षा शहरों में बढ़ती जा रही है। इस्लाम ने महिलाओं के संबंध में नैतिकता तथा उनके जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। एक इनसान होने के नाते उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा अध्यात्मिकता का समान अधिकार प्रदान किया गया है। महिलाओं के हिजाब या पर्दा किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि दोनों में यौन प्रवृति को रोकने के कारण प्रयोग किया गया है।

## निष्कर्ष

आधुनिकता के इस दौर में मुस्लिम महिलाएँ भी बदलते समय के साथ-साथ उपभोक्तावादी समाज का हिस्सा बन रही है। मुस्लिम महिलाएँ सभी तरह के धार्मिक व सामाजिक दबाव के बावजूद पुरूष के समान सभी प्रकार के कार्यों तथा हर क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। मुस्लिम समाज में महिलाओं को पुरूष के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार तथा समुदाय में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इस संदर्भ मे समाज भले ही पूरी तरह से नहीं उतर पाये है, किन्तु महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है। आधुनिक समाज के मुस्लिम महिला भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा स्वालम्बी बनने को अग्रसर हैं। वह पुरूषों के साथ-साथ आज कंधा से कंधा मिलाकर देश की आर्थिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। आज मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में प्रगतिशील तो हो रही है, परन्तु व लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रही है। समाज को अभी और आगे आना होगा तभी वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुस्लिम समाज में महिलाओं को लिखित रूप से बहुत अधिकार है परन्तु वास्तविकता के धरातल पर उनको अधिकार नहीं मिल पा रही हैं। मुस्लिम समाज में महिलाओं के जीवन स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया रूढ़िवादी बनी हुई है, जिससे समाज में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन की गति बहुत धीमी हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते है कि मुस्लिम समाज में महिलाओं को इस्लाम धर्म में बहुत आदर मान-सम्मान तथा सभी तरह के अधिकार मिले हैं, लेकिन क्या इस संदर्भ में हमारा भारतीय मुस्लिम समाज उन्हें वह अधिकार तथा स्थान, आदर सम्मान दे पाया है जो उन्हें इस्लाम के अनुसार मिलना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक दृष्टि से हाँ में दिया जा सकता है परंतु व्यवहारिक दृष्टि से नहीं। आज जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में इनके दायित्वों का अगर मूल्यांकन किया जाए तो उनका समाज के प्रति योगदान सराहनीय है।

## संदर्भ सूची

1. कुरान. आयत 2:187.
2. इस्लाम में औरत का स्थान और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एतराजात की हकीकत. प्रकाशन विवरण उपलब्ध नहीं।
3. अहमद मुसनद. सुनन नसाई. हदीस संख्या 3104. खंड 3. पृष्ठ 429.
4. जलालुद्दीन सैय्यद उभरी. औरत और इस्लाम. नई दिल्ली: मर्कजी मकतब; 2005.
5. इंजीनियर अली असगर. द कुरान, वुमैन एंड मॉडर्न सोसाइटी. नई दिल्ली: न्यू दवान प्रेस; 2005.
6. हसन जोया. भारतीय मुसलमान. हंस; 2013.

**Creative Commons License**

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

**About the Author**

**मो. असगर अन्सारी** बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, झारखंड के इतिहास विभाग में शोधार्थी हैं। उनकी शोध रुचि भारतीय इतिहास, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय इतिहास के विविध आयामों में है। वे ऐतिहासिक अनुसंधान, अकादमिक लेखन तथा शोधपरक गतिविधियों के माध्यम से इतिहास विषय में सार्थक योगदान देने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।


© 2026 मो० असगर अन्सारी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/